राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 71/2016 – निगरानी

1. मांगीलाल पिता गणेश सुथार निवासी उम्मेदपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा	बनाम	1. गोवर्धन लाल पिता केसु सुथार निवासी उम्मेदपुरा 2. मदन पिता केसु सुथार निवासी उम्मेदपुरा 3. रतन पिता केसु सुथार निवासी उम्मेदपुरा 4. श्यामलाल पिता केसु सुथार निवासी उम्मेदपुरा 5. श्रीमती लादी पिता केसु पत्नी डालू सुथार निवासी आमली का बडा खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत चावण्डिया पत्रावली कमांक 19 पटटा सं. 63 दिनांक 05.07.1976

1. श्री मनोहर लाल बापना अधिवक्ता – निगराकार की ओर से उपस्थित
2. श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता – गैर निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.09.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत चावण्डिया के तत्कालीन सरपंच श्री सीताराम दास ने विपक्षीगण के पूर्वज स्व. केसु पिता देवा सुथार के नाम पर ग्राम उम्मेदपुरा की आबादी में जरिये पत्रावली सं. 19 संवत् 2032 को एक पटटा जारी किया जिसके पडौस पूर्व में सरकारी जमीन व कुंई की चबुतरी , पश्चिम में स्कूल का एरिया, उत्तर में सरकारी जमीन व कुंई की चबुतरी, दक्षिण में केसु सुथार का मकान स्थित है। उक्त पड़ोसौं के मध्य स्थित जारी किये

गये पटटे में नपति में कांटा पीटी हो रही है तथा उत्तर व दक्षिण की दोनो भुजाओं की नपति 68 फीट होते हुए भी 18–18 फीट निगराकार के मकान के भूखण्ड के आगे बढा दी, जबकि मूलतः पटटा केसु पिता देवा सुथार के नाम पर 68 फीट उत्तर दक्षिण व 15 फीट पूर्व पश्चिम का जारी हुआ था। विपक्षी गोवर्धन ने एक वादपत्र निगराकार के विरूद्व माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय गंगापुर में निषेधाज्ञा व घोषणा का प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 36/2016 ई.दी. है में दावे के साथ फोटोप्रति प्रस्तुत की किन्तु निगराकार द्वारा दिनांक 02.09.2016 को असल पटटा प्रस्तुत करने बाबत् आवेदन करने पर दिनांक 25.10.2016 को विपक्षी सं. 01 ने मूल पटटा न्यायालय में प्रस्तुत किया जिससे निगराकार को जानकारी में आया कि विपक्षीगण के पूर्वज केसु ने गलत तथ्य बताकर निगराकार के मकान व चौक के उत्तर में अवैध रूप से 18 बाई 10 फीट का पटटा भी जारी करवा लिया, जबकि इस 18 बाई 10 फीट वाले भू भाग में मृतक केसु अथवा विपक्षीगण को कोई हक हकूक दरवाजा, खिडकी, रोशनदान बने हुए नहीं है, बल्कि निगराकार के व केसु तथा विपक्षीगण के मकान के बीच में पुख्ता ब्लाइण्ड वाल बनी हुई है अर्थात किसी प्रकार के हक हकूक इस दीवार से आगे पूर्व तरफ मृतक केसु के अथवा विपक्षीगण के बने हुए नही थे। कानूनी रूप से भी किसी व्यक्ति के मकान के आगे आम रास्ते तक अन्य किसी व्यक्ति को भूखण्ड नही दिया जा सकता और न पटटा ही जारी किया जा सकता है। विपक्षीगण ने सरकारी स्कूल की जमीन पर भी अनाधिकृत आधिपत्य कर रखा है। पटटा सं. 63 में विपक्षीगण के मकान की पश्चिमी भुजा 15 फीट दर्शाई गयी है। इस प्रकार विपक्षीगण ने स्कूल एरिया की सरकारी जमीन में भी अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कर लिया है। तथाकथित पटटा सं. 63 साबिक पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किया गया नही होने से भी निरस्त योग्य हैं। पटटा सं. 63 के धारक केसु पिता देवा सुथार का निधन हो गया और विपक्षीगण केसु के वारिसान होने से उन्हें विपक्षीगण बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत चावण्डिया तहसील सहाडा द्वारा जारी किया गया पटटा सं. 63 दिनांक 05.07.1976 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 01.12.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत से पटटा जारी करने संबंधी पत्रावली तलब किये जाने हेतु पत्र लिखा गया। ग्राम पंचायत चावण्डिया

ने अपने पत्रांक/2017–18/07 दिनांक 10.05.2017 में अंकित किया कि उक्त पटटा पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत उम्मेदपुरा ने भी पत्र दिनांक 18.07.2017 में अंकित किया कि उम्मेदपुरा ग्राम पंचायत का गठन वर्ष 1994–95 में हुआ था। पटटा सं. 63 दिनांक 05.07.1976 का रिकार्ड ग्राम पंचायत चावण्डिया में ही उपलब्ध होगें। गैर निगराकारान् की ओर से जवाब पेश किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी । निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत चावण्डिया के तत्कालीन सरपंच श्री सीताराम दास ने विपक्षीगण के पूर्वज स्व. केसु पिता देवा सुथार के नाम पर ग्राम उम्मेदपुरा की आबादी में जरिये पत्रावली सं. 19 संवत् 2032 को एक पटटा जारी किया जिसके पडौस पूर्व में सरकारी जमीन व कुंई की चबुतरी , पश्चिम में स्कूल का एरिया, उत्तर में सरकारी जमीन व कुंई की चबुतरी, दक्षिण में केसु सुथार का मकान स्थित है। उक्त पड़ोसौं के मध्य स्थित जारी किये गये पटटे में नपति में कांटा पीटी हो रही है तथा उत्तर व दक्षिण की दोनो भुजाओं की नपति 68 फीट होते हुए भी 18–18 फीट निगराकार के मकान के भूखण्ड के आगे बढा दी, जबकि मूलतः पटटा केसु पिता देवा सुथार के नाम पर 68 फीट उत्तर दक्षिण व 15 फीट पूर्व पश्चिम का जारी हुआ था। विपक्षी गोवर्धन ने एक वादपत्र निगराकार के विरूद्व माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय गंगापुर में निषेधाज्ञा व घोषणा का प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 36/2016 ई.दी. है में दावे के साथ फोटोप्रति प्रस्तुत की किन्तु निगराकार द्वारा दिनांक 02.09.2016 को असल पटटा प्रस्तुत करने बाबत् आवेदन करने पर दिनांक 25.10.2016 को विपक्षी सं. 01 ने मूल पटटा न्यायालय में प्रस्तुत किया जिससे निगराकार को जानकारी में आया कि विपक्षीगण के पूर्वज केसु ने गलत तथ्य बताकर निगराकार के मकान व चौक के उत्तर में अवैध रूप से 18 बाई 10 फीट का पटटा भी जारी करवा लिया, जबकि इस 18 बाई 10 फीट वाले भू भाग में मृतक केसु अथवा विपक्षीगण को कोई हक हकूक दरवाजा, खिडकी, रोशनदान बने हुए नहीं है, बल्कि निगराकार के व केसु तथा विपक्षीगण के मकान के बीच में पुख्ता ब्लाइण्ड वाल बनी हुई है अर्थात किसी प्रकार के हक हकूक इस दीवार से आगे पूर्व तरफ मृतक केसु के अथवा विपक्षीगण के बने हुए नही थे। कानूनी रूप से भी किसी व्यक्ति के मकान के आगे आम रास्ते तक अन्य किसी व्यक्ति को भूखण्ड नही दिया जा सकता और न पटटा ही जारी किया जा सकता है। विपक्षीगण ने सरकारी स्कूल की जमीन पर भी अनाधिकृत आधिपत्य

कर रखा है। पटटा सं. 63 में विपक्षीगण के मकान की पश्चिमी भुजा 15 फीट दर्शाई गयी है। इस प्रकार विपक्षीगण ने सरकारी स्कूल की जमीन में भी अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कर लिया है। तथाकथित पटटा सं. 63 साबिक पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किया गया नही होने से भी निरस्त योग्य हैं। निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत चावण्डिया तहसील सहाडा द्वारा जारी किया गया पटटा सं. 63 दिनांक 05.07.1976 को निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत चावण्डिया द्वारा जारी किये पटटे की नपती में किसी भी प्रकार की कोई काटा पीटी नही की गयी है। ग्राम पंचायत ने सहवन से कोई गलत नाप अंकित कर दिया होगा तो उसी समय पत्रावली में लिपिकीय त्रुटि को ग्राम पंचायत द्वारा उसी समय दुरूस्त किया गया होगा। पटटे अनुसार ही गैर निगराकारान् का मकान बना हुआ है जिसे करीब 30 साल से भी अधिक समय हो गया है। निगराकार द्वारा पटटे सुदा मकान में अपना रास्ता बता रहा हैं, वहां पर तो 30 साल पुराना मकान बना हुआ है तथा उस मकान में 10 लाख रूपये से भी अधिक निर्माण हो रखा है एवं उससे आगे एक कुंआ है और कुंए की छुट पडी हुई उसको हड़पकर उस पर निगराकार नाजायज कब्जा करना चाहता है। जिसे रूकवाने के लिये ही गैर निगराकार सं. 01 की ओर से एक वाद पत्र सिविल न्यायालय गंगापुर के यहां घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का प्रस्तुत कर रखा हैं। निगराकार स्वयं अपने मकान को पटटा पेश करें और फिर उसके आवागमन का रास्ता साबित करें तथा शेष तथ्यों का कोई कानूनी औचित्य नही होने से निगरानी खारिज फरमाई जावे। निगराकार द्वारा यह वर्णित नहीं किया गया कि पंचायत द्वारा किसी अधिनियम के तहत पटटा जारी नहीं किया जा सकता है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी बेबुनियाद तथ्यों एवं झूठे तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत चावण्डिया ने पत्रावली सं. 19 संवत् 2032 दिनांक 19.01.1976 को केसु पिता देवा सुथार निवासी उम्मेदपुरा के नाम पर उम्मेदपुरा क्षैत्र में 18 बाई 10 वर्गफीट भूमि का बापी पटटा 25/–रू. जमाकर जारी किया गया। वादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में गैर निगराकार द्वारा एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का निगराकार के विरूद्व न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश गंगापुर में

दर्ज करवाया। जिसके प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 29/2016 मु.दी. में न्यायालय द्वारा विवादित स्थल के संबंध में कमिश्नर रिपोर्ट मंगवायी गयी। जिसमें पक्षकारान के मध्य विवादित स्थल के संबंध में विवाद होने से दिनांक 21.05.2016 को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर यथास्थिति के आदेश पेशी दिनांक तक के जारी किये जाते रहे हैं। निगराकार ने निगरानी प्रार्थना पत्र में पक्षकारान् के मध्य सिविल न्यायालय गंगापुर में निषेधाज्ञा व घोषणा का वाद सं. 36/2016 ई.दी. चलना (Sub Judice) बताया हैं। अतः निगराकार की निगरानी Sub Judice होने से इस प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी निरस्त योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत चावण्डिया के संबंध में निगराकार ने निगरानी प्रार्थना पत्र में पक्षकारान् के मध्य सिविल न्यायालय गंगापुर में निषेधाज्ञा व घोषणा का वाद सं. 36/2016 ई.दी. चलना (Sub Judice) बताया हैं। अतः निगराकार की निगरानी Sub Judice होने से इस प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से निगराकार की निगरानी निरस्त की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे। आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/9/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा